बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

आवश्यक सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक – 21/बी.पी.एस.सी.–20/2016 सा.प्र. – 9698, दिनांक 14.07.2016 के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) और बिहार कनीय असैनिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली 1951 में अंकित परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। संशोधनों की संक्षिप्त विवरणी निम्नलिखित है:–

प्रारम्भिक परीक्षा:– पूर्व की भाँति प्रारम्भिक परीक्षा दो घंटे की होगी; जिसमें सामान्य अध्ययन का एक पत्र 150 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ट एवं बहुविकल्पीय होंगे। इस परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस गुणा होगी। प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

मुख्य परीक्षा:– पूर्व के परीक्षा संरचना में आंशिक संशोधन किया गया है जो निम्न प्रकार है:–

1. <u>अनिवार्य विषय</u>

सामान्य हिन्दी :– 100 अंकों का एक पत्र होगा जो विषयनिष्ट प्रकृति का होगा। इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी सामान्य हिन्दी विषय की लिखित परीक्षा में 30% अंक प्राप्त नहीं करते है, वे योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। सामान्य हिन्दी विषय का प्राप्तांक मात्र अर्हित होने के लिए होगा। इसका प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़ा जायेगा।

2. <u>अनिवार्य विषय</u>

सामान्य अध्ययन :– पत्र– I (Paper I) एवं पत्र– II (Paper II) : इन पत्रों का पूर्णांक 200–200 अंकों का होता था, जिसकी परीक्षा प्रत्येक अवधि तीन–तीन घंटे निर्धारित थी। किये गये संशोधन के अनुसार सामान्य अध्ययन पत्र– I (Paper I) एवं पत्र– II (Paper II) होगा जिनकी परीक्षा अवधि प्रत्येक तीन–तीन घंटे की होगी और प्रत्येक पत्र 300–300 अंकों का होगा। पूर्व की भाँति इन पत्रों के लब्धांक मेधा सूची में सम्मिलित किये जाएंगे।

3. <u>**ऐच्छिक विषय**</u> :– पूर्व की परीक्षा संरचना में बिहार असैनिक सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में दो ऐच्छिक विषयों के कुल चार पेपर के प्रश्न पत्र 200–200 अंकों का था अर्थात् दो ऐच्छिक विषयों के कुल चार पेपर के प्रश्न पत्र कुल 800 अंकों के होते थे।

किये गये संशोधन के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को पूर्व के ही वैकल्पिक विषयों के विषय कोड – 04 से विषय कोड – 37 तक में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का ही चयन करना होगा, जिसमें पूर्व के दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 300 अंकों का मात्र एक ही प्रश्न–पत्र होगा एवं परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।

वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम (Syllabus) पूर्व के प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र को मिलाकर होगा।

सामान्य अध्ययन के लब्धांक (प्राप्तांक) एवं ऐच्छिक विषय के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।

किसी भी उम्मीदवार द्वारा उपरोक्त सभी विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक भाषा में दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं होगी। उत्तर देने के क्रम में केवल तकनीकी शब्दों, वाक्याशों, उद्धृत अंशों का उक्त चुनी गयी भाषा के साथ अंग्रेजी रुपान्तर भी दिया जा सकता है।

संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पूर्व के अन्य सभी निर्देश यथावत् रहेंगे।

4. **व्यक्तित्व परीक्षण** :– मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 150 अंकों के स्थान पर अब मात्र 120 अंकों का होगा, जिसका लब्धांक तैयार किये जाने वाले अंतिम मेधा सूची में जोड़ा जायेगा।

संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार) जो पूर्व में कुल 1350 (1200+150) अंकों का होता था, के स्थान पर अब मात्र 1020 (900+120) अंकों का होगा। इसके आधार पर अन्तिम मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें आरक्षण, कोटिवार एवं उम्मीदवारों द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई अधिमानता के आधार पर अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाएगा।

5. **उपरोक्त विवरणी मात्र सांकेतिक है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक – 21/बी॰पी॰एस॰सी॰–20/2016 सा॰प्र॰ – 9698, दिनांक 14.07.2016 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।**

पत्रांक–21 / बी॰पी॰एस॰सी॰–20 / 2016,सा॰प्र॰ 9698 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह, *भा॰प्र॰से॰*,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 14-7-16

विषयः– **बिहार असैनिक सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को ससमय आयोजित किये जाने के निमित्त बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) और बिहार कनीय असैनिक सेवा (भर्ती) नियमावली,1951 के परिशिष्ट 'घ' में अंकित परीक्षा–संरचना में संशोधन के संबंध में।**

प्रसंगः– **आयोग का पत्रांक–462 दिनांक–12.05.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि इस विभाग के पत्रांक–10740 दिनांक–14.11.1994 द्वारा बिहार असैनिक सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) के लिए आयोग द्वारा प्रस्तावित पुनरीक्षित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा–संरचना में सरकार की स्वीकृति संसूचित की गई थी।

उक्त पत्र द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा–संरचना को संशोधित किये जाने संबंधी आयोग की पूर्ण पीठ के बैठक में लिये गये निर्णय एवं आयोग के प्रस्ताव के आलोक में उक्त पत्र द्वारा पुनरीक्षित परीक्षा–संरचना को निम्नांकित हद तक संशोधित किये जाने हेतु सरकार की स्वीकृति संसूचित की जाती है–

पूर्व का प्रावधान **प्रारंभिक परीक्षाः भाग–1**	संशोधित प्रावधान **प्रारंभिक परीक्षाः भाग–1**
1. प्रारंभिक परीक्षा दो घण्टों की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन का एक पत्र 150 (एक सौ पचास) अंकों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगें। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न–पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प प्रकार के होंगे। उम्मीदवार वस्तुपूरक प्रश्न–पत्रों (प्रश्न पुस्तिका) का उत्तर देने के लिये कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा महज जाँच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। अतः इसमें प्राप्त किये अंकों का मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा। मुख्य परीक्षा के लिये चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस गुनी अथवा प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित कुल उम्मीदवारों के दस प्रतिशत होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों के जोड़ की शुद्धता जाँच कराने एवं इसके प्राप्तांक निर्गत करने का प्रावधान नहीं है।	1. प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया एवं प्रविधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल आंशिक परिवर्तन यह होगा कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस गुनी होगी। इसमें उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा।

69

2. मुख्य परीक्षाः भाग–2

मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय–

(i) सामान्य हिन्दी 100 अंक का

(ii) सामान्य अध्ययन–पत्र–1 200 अंक का

(iii) सामान्य अध्ययन–पत्र–2 200 अंक का

टिप्पणी– सामान्य हिन्दी में प्राप्तांक लब्धांक अन्य लिखित पत्रों और व्यक्तित्व परीक्षण के लब्धांको में नहीं जोड़ा जायेगा, लेकिन जो उम्मीदवार अनिवार्य सामान्य हिन्दी पत्र में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त नहीं करेंगे, वे लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।

3. (i) प्रथम ऐच्छिक विषय

प्रथम पत्र–200 अंक का

द्वितीय पत्र–200 अंक का

(ii) द्वितीय ऐच्छिक विषय

प्रथम पत्र–200 अंक का

द्वितीय पत्र–200 अंक का

उपर्युक्त अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त मुख्य परीक्षा के निम्नलिखित वैकल्पिक विषय होंगे। उम्मीदवार केवल दो विषय ही ले सकते हैं, किंतु किसी भी हालत में भाषा और साहित्य से एक से अधिक विषय नहीं ले सकते हैं।

टिप्पणी:– ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग वही होगा, जो पटना विश्वविद्यालय के तीन वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है।

विषय कोड	विषय	विषय कोड	विषय
04	कृषि विज्ञान	05	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान
06	मानव विज्ञान	07	वनस्पति विज्ञान
08	रसायन विज्ञान	09	सिविल इंजीनियरी
10	वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	11	अर्थशास्त्र
12	विद्युत इंजीनियरी	13	भूगोल
14	भू–विज्ञान	15	इतिहास
16	श्रम एवं समाज कल्याण	17	विधि
18	प्रबन्ध	19	गणित
20	यांत्रिक इंजीनियरी	21	दर्शन शास्त्र
22	भौतिकी	23	राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध
24	मनोविज्ञान	25	लोक प्रशासन
26	समाज शास्त्र	27	सांख्यिकी
28	प्राणी विज्ञान	29	हिन्दी भाषा और साहित्य
30	अंग्रेजी भाषा और साहित्य	31	उर्दू भाषा और साहित्य
32	बंगला भाषा और साहित्य	33	संस्कृत भाषा और साहित्य
34	फारसी भाषा और साहित्य	35	अरबी भाषा और साहित्य
36	पाली भाषा और साहित्य	37.	मैथली भाषा एवं साहित्य

2. मुख्य परीक्षाः भाग–2

मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय–

(i) सामान्य हिन्दी 100 अंक का

(ii) सामान्य अध्ययम–पत्र–1 300 अंक का

(iii) सामान्य अध्ययन–पत्र–2 300 अंक का

सामान्य हिन्दी 100 अंको का एवं परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी । इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।

सामान्य अध्ययन विषय के अन्तर्गत दो प्रश्न–पत्र होंगे, उनमें से प्रत्येक प्रश्न–पत्र 300 अंको का होगा तथा परीक्षा की अवधि 3–3 घंटे की होगी।

3. ऐच्छिक विषय

एक पत्र–300 अंक का

प्रत्येक अभ्यर्थी को पूर्व के ही वैकल्पिक विषयों के विषय कोड–04 से विषय कोड–37 तक में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का ही चयन करना होगा, जिसमें पूर्व के दोनों प्रश्न–पत्रों को मिलाकर 300 अंको का मात्र एक ही प्रश्न–पत्र होगा एवं परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।

टिप्पणी:– ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग वही होगा, जो पटना विश्वविद्यालय के तीन वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है।

टिप्पणी:– (1) प्रश्न–पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे।

(2) सभी भाषेत्तर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।

(3) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्दों/वाक्यांशों/उद्धृत अंशों के यदि कोई है, विवरण का उनके द्वारा चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपान्तर दे सकते हैं।

(4) उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होगें। किसी भी परिस्थिति में इसके लिए दूसरे से सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(5) परीक्षा के सभी विषयों में कम–से–कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा।

(6) प्रश्न–पत्रों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, माप तौल से सम्बद्ध प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे।

(7) उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (जैसे– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) का ही प्रयोग करें।

(8) उम्मीदवार यदि चाहें तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटरों का प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा में किसी से कैलकुलेटर माँगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है।

टिप्पणी:– (1) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी:–

(क) राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन

(ख) वाणिज्यिक शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबन्ध

(ग) मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र

(घ) गणित तथा सांख्यिकी

(ड़) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान

(च) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन

(छ) इंजीनियरी विषयों, जैसे– सिविल इंजीनियरी; विद्युत् इंजीनियरी एवं यांत्रिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं।

(2) भाषा विषयों; यथा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू बंगला, संस्कृत, फारसी अरबी एवं पाली में से यदि उम्मीदवार चाहें तो किसी एक भाषा को रख सकते हैं।

(3) प्रत्येक वैकल्पिक विषय के दो पत्र होंगे तथा प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा।

(4) प्रत्येक पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।

(5) प्रश्न–पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे।

(6) सभी भाषेत्तर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।

(7) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्दों/वाक्यांशों/उद्धृत अंशों के यदि कोई है, विवरण का उनके द्वारा चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपान्तर दे सकते है।

(8) उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में इसके लिये दूसरे से सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(9) परीक्षा के सभी विषयों में कम–से–कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति का श्रेय मिलेगा।

(10) प्रश्न–पत्रों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, माप तौल से सम्बद्ध प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे।

(11) उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (जैसे– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) का ही प्रयोग करें।

(12) उम्मीदवार यदि चाहें तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटरों का प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा में किसी से कैलकुलेटर माँगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है।

4. **व्यक्तित्व परीक्षणः भाग– 3**

(1) मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 150 अंको का होगा।

(2) आयोग सफल उम्मीदवार को उनमें से किसी भी सेवा या पद के लिये अनुशंसित करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिये आयोग उसे योग्य समझता है।

4. **व्यक्तित्व परीक्षण : भाग–3**

(1) मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा।

(2) आयोग सफल उम्मीदवार को उनमें से किसी भी सेवा या पद के लिये उनुशंसित करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिये आयोग उसे योग्य समझता है।

(3) तदुपरांत मुख्य परीक्षा के 900 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक – कुल 1020 अंको के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।

(8)

किसी वैकल्पिक/ऐच्छिक विषय के लिए पूर्व में अलग–अलग पत्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों को सम्मिलित मानते हुए उस विषय के लिए प्रश्न–पत्र तैयार किये जायेंगे।

6. विभागीय पत्रांक–10740 दिनांक–14.11.1994 द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (मुख्य एवं प्रारंभिक) के लिए आयोग से प्रस्तावित पाठ्यक्रम की स्वीकृति संसूचित की गई है, जो बिहार गजट असाधारण अंक संख्या–245 दिनांक–15.07.1995 को प्रकाशित है– के शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन,

14/7/2016

(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

0/C